

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधिकारी,
(प्रा0शि0) रुद्रप्रयाग।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।

पत्रांक

विषय-

सेवायें-2/ 4401-04/वार्षिक स्थानान्तरण/2026-27/दिनांक 27 अगस्त 2026
वार्षिक स्थानान्तरण वर्ष 2026-27 के स्थानान्तरण आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वार्षिक स्थानान्तरण वर्ष 2026-27 के स्थानान्तरण आदेश इस निवेदन के साथ महोदय की सेवा में प्रेषित किये जा रहे हैं, संलग्न आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट कीजिएगा।
संलग्नक-यथापरि

भवदीय



(अजय कुमार चौधरी)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)

जनपद- रुद्रप्रयाग

पृष्ठोंकन संख्या/सेवायें-2/ 4401-04 / वार्षिक स्थानान्तरण/2026-27/ दिनांक उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, रुद्रप्रयाग/अध्यक्ष वार्षिक स्थानान्तरण समिति
2. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी, रुद्रप्रयाग



जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
जनपद- रुद्रप्रयाग

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद-रूद्रप्रयाग

आदेश संख्या/सेवायें-2/ 188 /वार्षिक स्थानान्तरण/2026-27/दिनांक 27 अगस्त 2026

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 (1) व (2) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति पर उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या /410893/XXIV-B-1/2026/13((12)/2011 TC-1 दिनांक 07 जुलाई 2026 के क्रम में महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून के पत्र संख्या/सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 10 जुलाई 2026 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-17(1) (ख) के अन्तर्गत (एक) से (पांच) में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों का अनुरोध के आधार पर निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालयों में समान पद एवं वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरण किया जाता है।

प्राथमिक स्तर

क0 स0	अध्यापक का नाम	पदनाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	नवीन तैनाती विद्यालय	स्थानान्तरण की श्रेणी	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07
01	श्रीमती पुष्पा गोस्वामी	स0अ0	रा0प्रा0वि0 सिंगोली, ऊखीमठ	रा0प्रा0वि0 रुमसी, अगस्त्यमुनि	धारा-17(1) ख (दो)	मानसिक रूप से विकसित एवं लाचार बच्चों के माता पिता
02	श्रीमती संगीता आर्य	स0अ0	रा0प्रा0वि0 तोन्दला, अगस्त्यमुनि	रा0प्रा0वि0 शीशों, जखोली	धारा-17(1) ख (चार)	उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति-पत्नी
03	श्रीमती सुमन पुरोहित	स0अ0	रा0प्रा0वि0 गडोरा, अगस्त्यमुनि	रा0प्रा0वि0 धारकोट, अगस्त्यमुनि	धारा-17(1) ख (चार)	उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति-पत्नी
04	श्री कर्मबीर सिंह	स0अ0	रा0प्रा0वि0 घरड़ा, जखोली	रा0प्रा0वि0 लडियासू, जखोली	धारा-17(1) ख (चार)	उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति-पत्नी
05	श्रीमती रेखा राज	स0अ0	रा0प्रा0वि0 कमडखेत, जखोली	रा0प्रा0वि0 रैंतोली, अगस्त्यमुनि	धारा-17(1) ख (चार)	उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति-पत्नी

उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों को छात्र हित में स्थानान्तरण समिति जनपद रूद्रप्रयाग के परामर्श पर निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं-

1. प्राथमिक विद्यालय में जहाँ वर्तमान में 01 अध्यापक कार्यरत हैं, वहाँ से स्थानान्तरित अध्यापक कार्यभार ग्रहण के उपरान्त उनके प्रतिस्थानी द्वारा (स्तम्भ 04 में अंकित) विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने तक अध्यापन कार्य करते रहेंगे, एवं प्रतिस्थानी के आने के उपरान्त ही कार्यमुक्त होंगे।
2. समस्त स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्तर्गत स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे।



3. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित / टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के भीतर स्थानान्तरण करने वाले अधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन किया जा सकेगा।

(अजय कुमार चौधरी)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
जनपद- रुद्रप्रयाग।

पृष्ठोंकन संख्या/सेवायें-2/4279-4389/वार्षिक स्थानान्तरण/2026-27/दिनोंक उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, जनपद-रुद्रप्रयाग।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
3. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, जनपद- रुद्रप्रयाग।
5. जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा, जनपद-रुद्रप्रयाग।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद- रुद्रप्रयाग।
7. समस्त उपकोषाधिकारी, जनपद-रुद्रप्रयाग।
8. समस्त उपशिक्षा अधिकारी जनपद-रुद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अध्यापकों के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की कार्यवाही करने के साथ सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0/रा0उ0प्रा0वि0 जनपद रुद्रप्रयाग सम्बन्धित उपशिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
10. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को अनुपालनार्थ सम्बन्धित उपशिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
11. कार्यालय गार्ड फाइल।

(अजय कुमार चौधरी)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
जनपद- रुद्रप्रयाग।

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद-रुद्रप्रयाग

आदेश संख्या/सेवायें-2/ 189

/वार्षिक स्थानान्तरण/2026-27/दिनांक 27 अगस्त 2026

विज्ञप्ति/ स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 (1) व (2) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति पर उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या /410893/XXIV-B-1/2026/13((12)/2011 TC-1 दिनांक 07 जुलाई 2026 के क्रम में महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून के पत्र संख्या/सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 10 जुलाई 2026 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-17(1) (ख) के अन्तर्गत (एक) से (पांच) में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों का अनुरोध के आधार पर निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालयों में समान पद एवं वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरण किया जाता है।

सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक स्तर

क्र.सं.	अध्यापक का नाम	पदनाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	नवीन तैनाती विद्यालय	स्थानान्तरण की श्रेणी	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07
01	श्रीमती रामेश्वरी मंगगाई	स0अ0 (भाषा)	रा0उ0प्रा0वि0 कुणजेठी, जखोली	रा0उ0प्रा0वि0 रुद्रगढ़, ऊखीमठ	धारा-17(1) ख (एक)	स्वयं की बीमारी
02	श्रीमती सुनीता नेगी	स0अ0 (भाषा)	रा0उ0प्रा0वि0 कलना, अगस्त्यमुनि	रा0उ0प्रा0वि0 समरपुर, अगस्त्यमुनि	धारा-17(1) ख (एक)	पति की गम्भीर रोग ग्रस्ता
03	श्री बृजमोहन पुरोहित	स0अ0 (विज्ञान)	रा0उ0प्रा0वि0 खोड़, जखोली	रा0उ0प्रा0वि0 पंचभैयाखाल, अगस्त्यमुनि	धारा-17(1) ख (चार)	उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति-पत्नी
04	डॉ0 कैलाश चन्द्र	स0अ0 (विज्ञान)	रा0उ0प्रा0वि0 कान्दी, अगस्त्यमुनि	रा0उ0प्रा0वि0 उथिण्ड, ऊखीमठ	धारा-17(1) ख (चार)	उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति-पत्नी
05	श्री कुशलानन्द वशिष्ठ	स0अ0 (भाषा)	रा0उ0प्रा0वि0 स्वारी ग्वास, अगस्त्यमुनि	रा0उ0प्रा0वि0 आगर, अगस्त्यमुनि	धारा-17(1) ख (पाँच)	वरिष्ठ कार्मिक
06	श्री बलवीर सिंह रावत	प्र0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 आगर, अगस्त्यमुनि	रा0उ0प्रा0वि0 कुण्ड, अगस्त्यमुनि	धारा-17(1) ख (पाँच)	वरिष्ठ कार्मिक

उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों को छात्रहित में स्थानान्तरण समिति जनपद रुद्रप्रयाग के परामर्श पर निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं-

- उच्च प्राथमिक विद्यालय में जहाँ वर्तमान में 02 अध्यापक कार्यरत हैं, वहाँ से स्थानान्तरित अध्यापक कार्यभार ग्रहण के उपरान्त उनके प्रतिस्थानी द्वारा (स्तम्भ 04 में अंकित) विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने तक अध्यापन कार्य करते रहेंगे, एवं प्रतिस्थानी के आने के उपरान्त ही कार्यमुक्त होंगे।
- समस्त स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्तर्गत स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

3. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के भीतर स्थानान्तरण करने वाले अधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन किया जा सकेगा।

(अजय कुमार चौधरी)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
जनपद- रुद्रप्रयाग।

पृष्ठोंकन संख्या/सेवायें-2/ 4390-4400/वार्षिक स्थानान्तरण/2026-27/दिनोंक उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, जनपद-रुद्रप्रयाग।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
3. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, जनपद- रुद्रप्रयाग।
5. जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा, जनपद-रुद्रप्रयाग।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद- रुद्रप्रयाग।
7. समस्त उपकोषाधिकारी, जनपद-रुद्रप्रयाग।
8. समस्त उपशिक्षा अधिकारी जनपद -रुद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अध्यापकों के कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण की कार्यवाही करने के साथ सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0/रा0उ0प्रा0वि0 जनपद रुद्रप्रयाग सम्बन्धित उपशिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
10. सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को अनुपालनार्थ सम्बन्धित उपशिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
11. कार्यालय गार्ड फाइल।

(अजय कुमार चौधरी)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
जनपद- रुद्रप्रयाग।